

2021/29
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

क्रमांक प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
17/21	88, 89, 91, 183, 188 RTA	डूंगौर	६७३१
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
नारायणसिंह	बनाम	गायत्री बाई	
वकील :- कमल सिंह शाश्वत (छो.)	आदेश पत्रक	वकील :-	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

22²/₂₁

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्य सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.03.2021 को पेश हो।

(Signature)

23³/₂₁

आज पीटारसीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 19/4/21 को पेश हो।

(Signature)
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा),

19⁴/₂₁

आज पीटारसीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 24/5/21 को पेश हो।

(Signature)
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा),

24⁵/₂₁

आज पीटारसीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 23/6/21 को पेश हो।

(Signature)
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा),

23⁶/₂₁

आज पीटारसीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21/8/21 को पेश हो।

(Signature)
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा),

पत्रावली पेश हुई। वक्तुलाप करीके उपा. तकी काम नही की जा सकी। आपडा पत्रावली वारे तकीपार दिनांक 19.11.24 को पेश हो

✍

11-24

पत्रावली पेश हुई। वक्तुलाप करीके उपा. तकी काम नही की जा सकी। पत्रावली वारे तकीपार दिनांक 23-12-24 को पेश हो

✍

23-12-24

पत्रावली पेश हुई। वक्तुलाप करीके उपा. तकी काम नही की जा सकी है। पत्रावली वारे तकीपार दिनांक 11.2.25 को पेश हो।

✍

11-2-25

पत्रावली पेश हुई। वक्तुलाप करीके उपा. तकी काम नही की जा सकी है। वक्तुलाप करीके उपा. तकी काम नही की जा सकी है। पत्रावली वारे तकीपार दिनांक 11.2.25 को पेश हो।

✍